रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042026-272075
CG-DL-E-25042026-272075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1980] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948
No. 1980] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईज़ेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2026

का.आ. 2053(अ).—यतः, मैo सेस्ना गार्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य के कडुबीसनहल्ली गांव, तालुक वरथुर होबली, बैंगलोर जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को अधिसूचित/ अनधिसूचित किया था: -

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	परिणामी क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
(i).	का.आ.1979(अ)	16.11.2006	19.3341	-	19.3341
(ii).	का.आ.2546(अ)	06.10.2009	1.9130	2.4486	18.7985
(iii)	का.आ.410(अ)	17.02.2010	-	0.8078	17.9907

और यतः, मै० सेस्ना गार्डन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 316 एसपीआई 2025 दिनांक 1 जनवरी, 2026 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और ऐसा विमुद्रीकृत क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान की पुष्टि करेगा;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन मे एतद्व्दारा 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 17.3307 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

तालिका

क्र.सं.	**गाँव**	**सर्वेक्षण संख्या**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)**
1.	कडुबीसनहल्ली	17/3(पी)	0.01019
2.		17/4	0.64768
कुल			**0.66**
उपर्युक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**17.3307**

[फा.स. एफ.2/105/2005-एसईजेड]

विमल आनंद, सयुंक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2026

S.O. 2053(E).— Whereas, M/s. Cessna Garden Developers Private Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) hereinafter referred to as the Act, to set up a Sector Specific SEZ for Information Technology/Information Technology Enabled Services at Kadubeesanahalli Village, Taluk Varthur Hobli, Bangalore District, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in hectares)	De-Notified Area (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
(i).	S.O. 1979(E)	16.11.2006	19.3341	-	19.3341
(ii).	S.O. 2546(E)	06.10.2009	1.9130	2.4486	18.7985
(iii)	S.O. 410(E)	17.02.2010	-	0.8078	17.9907

AND, WHEREAS, M/s. Cessna Garden Developers Private Limited has now proposed for de-notification of 0.66 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 316 SPI 2025 dated 1st January, 2026. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized for creation of infrastructure which would sub serve the objective of the SEZ as originally envisaged and such de-notified area will confirm to Land Use Guidelines/master plans of the respective State Government.

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin SEZ has recommended the proposal for decrease in area of 0.66 hectare at the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.66 hectare at above special economic zone, thereby making the resultant notified area as 17.3307 hectares. The Survey numbers and the areas for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Village	Survey No.	Area (in Hectares)
1.	Kadubeesanahalli	17/3 (P)	0.01019
2.		17/4	0.64768
Total			**0.66**
Grand Total Area of SEZ after above deletion			**17.3307**

[F. No. F.2/105/2005-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.04.25 11:33:03 +05'30'